App-A
Crm-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ———— मुकाम ————

भंवरलाल बनाम सिंचाई विभाग

किस्म मुकदमा ———— नं. 35 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
17/12/2025	शील प्रार्थी व्यक्ति। अप्रार्थी संख्या 01 का पक्षकार पेश नहीं। शील प्रार्थी ने बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया पाकर बहस मौखिक पत्र सुनी गई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा दामारेड़ा प० ह० दामरेड़ा तहसील कपासन की आराजी 303 व 304 अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज बोली है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजियात अप्रार्थी संख्या 01 के नाम गलत दर्ज हो जाने से उक्त आराजियात का पट्टा निर्माण हेतु यह पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। व साथ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया कि गई बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को यह पत्र में तसदीकात करार कि जाकर साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जायेगा। दर्ज इकरारनामे के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कीजाकर उपभोग उपयोग से वंचित किया जाना व्यापक हित में उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली कैफ कमाल होकर सत्वर से कम हो। आदेश सुनाया गया।	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़